रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-25042024-253855 CG-DL-E-25042024-253855

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1704] No. 1704] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 25, 2024/वैशाख 5, 1946 NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 25, 2024/VAISAKHA 5, 1946

वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2024

का.आ. 1796(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 6 सितम्बर, 2018 में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग की अधिसूचना संख्यांक का.आ.4312(अ), तारीख 6 सितम्बर, 2018, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना के अंत में आनेवाले "िकन्तु ये ऐसे ऋणों के संबंध में लागू होते रहेंगे जिनके संबंध में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख अर्थात 6 सितम्बर, 2018 के पूर्व ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष वसूली हेतु आवेदन फाइल कर दिया गया है" शब्दों के पश्चात "और ऐसे ऋणों को जिनके संबंध में अर्थात (26 सितम्बर, 2018 से 30 जून, 2019) अविध के बीच ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष वसूली हेतु आवेदन फाइल कर दिया गया है" शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किये जायेंगे।

[फा. सं. 3/4/2018-डीआरटी] सुधीर श्याम, आर्थिक सलाहकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 6 सितम्बर, 2018 को प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात संख्यांक का.आ. 2478(अ), तारीख 11 जुलाई, 2019 के द्वारा संशोधित की गई थी।

2707 GI/2024 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2024

S.O. 1796(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Financial Services S.O. 4312(E) dated the 6th September, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 6th September, 2018, namely:-

In the said notification, after the words "but shall continue to apply to debts in respect of which an application for recovery has been filed before the Debts Recovery Tribunal prior to the date of publication of this notification, that is to say, the 6th day of September, 2018", occurring at the end, the words, figures and letters "and to debts in respect of which an application for recovery has been filed before the Debts Recovery Tribunal between the period, that is to say, 26th September, 2018 to 30th June, 2019" shall be inserted.

[F. No. 3/4/2018-DRT]

SUDHIR SHYAM, Economic Advisor

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II section 3 sub-section (ii) dated the 06th September, 2018 and was subsequently amended *vide* number S.O. 2478 (E) dated the 11th July, 2019.